10934৪7/PSA/16
29.2.16

9(5)15 149

राजस्थान–सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः पं.9(i)(5)/एल–6टी/16 जयपुर, दिनांकः 24/2/016

परिपत्र

विधि विभाग द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों को समय–समय पर निर्देश एवं परिपत्र जारी कर सूचित किया जाता रहा है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपरान्त अपील/नो अपील का निर्णय यथा–शीघ्र लिया जाकर समय सीमा में विधि विभाग को अन्तिम विनिश्चय हेतु पत्रावलियाँ भेजी जावें। इसके बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रकरण श्रम न्यायालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णीत प्रकरण संख्या एल.सी.आर. 167/2001 श्रीमती शान्ता बाई बनाम विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ में पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2004 के विरूद्ध अपील/नो अपील के निर्णय हेतु पत्रावली लगभग 11 वर्ष 6 माह पश्चात् अत्याधिक विलम्ब से विधि विभाग को प्रेषित की गयी है, जिसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। ऐसे प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जानी अपेक्षित है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों में पारित निर्णय/आदेश में समयावधि व्यतीत होने से पूर्व प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रकरणों में अग्रिम कार्रवाई हेतु विधि विभाग को प्रेषित करने की व्यवस्था करें, जिससे भविष्य में ऐसी असामान्य स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसा न करने पर सरकार को न केवल न्यायालय–अवमानना का सामना करना पड़ता है, अपितु ब्याज के रूप में आर्थिक भार भी वहन करना पड़ता है। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि आपके विभाग में ऐसे कोई प्रकरण अपील/नो अपील के निर्णय हेतु लम्बित नहीं हैं।

–sd

प्रमुख शासन सचिव, विधि

DSE/DS III 29/2/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मन्त्री, राजस्थान–सरकार को उनकी आई.डी.संख्या 61/एम/विधि/2016 दिनांक 05.02.2016 के कम में।
2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ACS कृषि, उद्यानिकी
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, महोदय
4. रक्षित पत्रावली।

24.2.16

शासन सचिव, विधि

01/03/2016